

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05052023-245740
SG-DL-E-05052023-245740असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 4, 2023/वैशाख 14, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 51
No. 150]	DELHI, THURSDAY, MAY 4, 2023/ VAISAKHA 14, 1945	[N. C. T. D. No. 51

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIउच्च शिक्षा निदेशालय
अधिसूचना

दिल्ली, 4 मई, 2023

सं. फा. डीएचई 46(4)/फर्स्ट स्टेट्स ऑफ डी.टी.यु./2022/2722.—दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (दिल्ली अधिनियम, 2022 का 02) की धारा (31) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय, दिल्ली के लिए निम्नलिखित प्रथम संविधियों को बनाते हैं, अर्थातः—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :

- (1) इन संविधियों को दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय, दिल्ली (प्रथम) संविधि, 2023 कहा जाए।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं :

- (1) इन संविधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :
(क) “अकादमिक परिषद” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद से है।
(ख) “अधिनियम” का अभिप्राय दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (दिल्ली अधिनियम, 2022 का 02) से है।
(ग) “बोर्ड” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड से है।
(घ) “सक्षमता” का अभिप्राय किसी परिभाषित कार्य निर्धारण में रोजगार की भूमिका के सफलतापूर्वक निष्पादन हेतु अर्जित ज्ञान तथा प्रज्ञा एवं चरित्र विकास का उपयोग करने से है।

- (ड.) “सक्षमता आधारित शिक्षा” का अभिप्राय शिक्षण, अधिगम तथा आंकलन के उस दृष्टिकोण से है जो छात्रों के सीखने के परिणामों के प्रदर्शन तथा प्रत्येक विषय में विशेष दक्षताओं में प्रवीणता प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- (च) “केंद्र” का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित केंद्र से है।
- (छ) “प्रमाणपत्र” का अभिप्राय दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये ऐसे सम्मान से है जो यह प्रमाणित करता है कि प्राप्तकर्ता ने यथानिर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है;
- (ज) “कुलाधिपति”, “कुलपति” एवं “सम-कुलपति” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और सम-कुलपति से है।
- (झ) “परीक्षा नियंत्रक” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से है।
- (ञ) “वित्त नियंत्रक” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है।
- (ट) “न्यायालय” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के न्यायालय से है।
- (ठ) “क्रेडिट” का अभिप्राय एक सेमिस्टर (13-15 सप्ताह) की अवधि के लिए प्रत्येक सप्ताह, एक घंटे का सिद्धान्त अथवा एक घंटे का ट्यूटोरियल या दो घंटे का प्रयोगशाला कार्य की गणना करने की मानक पद्धति से है; जिसके परिणामस्वरूप एक क्रेडिट पुरस्कार होता है जो दिल्ली अध्यापक शिक्षा द्वारा प्रदान किया जाता है, जिस पर यूजीसी विनियमन लागू होते हैं, तथा प्रशिक्षु हेतु क्रेडिट प्रत्येक सप्ताह की प्रशिक्षु पर एक क्रेडिट होगी, जो अधिकतम छह क्रेडिटों के अधीन होगा।
- (ड) “पाठ्यचर्या पैकेज” का अभिप्राय सक्षमता आधारित पाठ्यचर्या पैकेज से है जिसमें पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकें, छात्र मैनुअल, प्रशिक्षक गाइड, प्रशिक्षण मैनुअल, आंकलन और मूल्यांकन दिशा-निर्देशों तथा डिजिटल पहल तथा व्यापक पैमाने पर ऑनलाइन ओपन पाठ्यक्रमों के रूप में इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित ऐसी सभी सामग्री शामिल है, जो किसी शिक्षण अथवा कोई शिक्षा आधारित भूमिका में लगे हुए अथवा लगाए जाने की संभावना की अपेक्षित कौशलों तथा सक्षमताओं को अर्जित करने हेतु एक छात्र को तैयार करने के लिए अध्यापक शिक्षा तथा शिक्षण प्रदान करने के लिए अपेक्षित है।
- (ढ) “डीन” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के डीन से है।
- (ण) “उपाधि” का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के अंतर्गत आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी भी तरह की उपाधि से है।
- (त) “दिल्ली” का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है।
- (थ) “विभाग” का अभिप्राय एक संकाय के भीतर शैक्षणिक विभाग से है।
- (द) “डिप्लोमा” का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए ऐसे सम्मान से है जो उपाधि नहीं है, लेकिन यह प्रमाणित करता है कि प्राप्तकर्ता ने यथानिर्धारित अध्ययन के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।
- (ध) “कर्मचारी” का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से है।
- (न) “संकाय” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के अध्ययन के संकाय से है।
- (प) “हॉल” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास या कॉर्पोरेट जीवन की एक इकाई से है।
- (फ) “संस्थान” का अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित एक शैक्षणिक संस्थान से है।
- (ब) “कदाचार” का अभिप्राय सीसीएस (आचार) नियमावली 1964 के प्रावधानों के अनुसार संविधियों और अध्यादेश द्वारा निर्धारित कदाचार से है;
- (भ) “राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद” अथवा “एनसीटीई” राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदको संदर्भित करता है।
- (म) “अधिसूचना” का अभिप्राय आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना से है।
- (य) “निर्धारित” का अभिप्राय अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए संविधियों अथवा अध्यादेशों या विनियमनों द्वारा ‘निर्धारित’ से है;
- (कक) “विनियामक प्राधिकरण” का अभिप्राय अध्यापक शिक्षा के शैक्षणिक मानकों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), इत्यादि को सुनिश्चित करने हेतु शर्तों एवं मानदण्डों को निर्धारित करने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय से है;
- (कख) “धारा” का अभिप्राय दिल्ली अध्यापक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 की धारा से है।
- (कग) “स्टाफ” का अभिप्राय विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारी-वर्ग से है।
- (कघ) “छात्र” का अभिप्राय एक ऐसे अभ्यर्थी से है जो विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में नामांकित होगा;
- (कड़) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” अथवा “यूजीसी” का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।
2. इन संविधियों में प्रयुक्त अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट किया गया है।

3. विश्वविद्यालय के अधिकारी :

- (1) विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष
- (2) कुलाधिपति
- (3) कुलपति

- (4) सम-कुलपति
- (5) डीन
- (6) रजिस्ट्रार
- (7) परीक्षा नियंत्रक
- (8) वित्त नियंत्रक

4. विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष

(1) भारत गणराज्य के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) विश्वविद्यालय और दिल्ली में कानून द्वारा स्थापित अन्य कोई विश्वविद्यालय के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को कुलाध्यक्ष को भेजा जा सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

5. कुलाधिपति— अधिनियम की धारा 09 के अनुसरण में,

- (1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे।
- (2) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, तो उपाधियों को प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (3) कुलाधिपति को ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों, जैसा निर्देश दे सकते हैं, को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के भवनों, प्रयोगशालाओं और उपकरणों, तथा साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या आयोजित परीक्षा, शिक्षण एवं अन्य कार्य का निरीक्षण करने, और विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त से संबंधित किसी मामले के संबंध में उसी ढंग से जाँच कराए जाने का अधिकार होगा।
- (4) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में निरीक्षण अथवा जाँच किए जाने के अपने प्रयोजन की सूचना विश्वविद्यालय को देगा तथा विश्वविद्यालय को ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर, सूचना में यथानिर्दिष्ट उस अवधि के भीतर कुलाधिपति के समक्ष ऐसे अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने का अधिकार होगा, जैसा वह आवश्यक समझे।
- (5) विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो तो, उस पर विचार करने के पश्चात् कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच को करा सकता है, जैसाकि की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किया गया है।
- (6) यदि, कुलाधिपति द्वारा कोई निरीक्षण अथवा जाँच कराया जाना है, तो विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसके पास इस प्रकार के निरीक्षण अथवा जाँच में उपस्थित होने तथा उसे सुनने का अधिकार होगा।
- (7) कुलाधिपति ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकता है जैसा की उप-धारा (3) में संदर्भित किया गया है तथा कुलपति, कुलाधिपति के सलाह रूप में उस दृष्टिकोण से प्रबंधन बोर्ड को अवगत कराएँगे जिसमें वह कुलाधिपति उस पर की जाने वाली कार्रवाई को सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।
- (8) प्रबंधन बोर्ड ऐसे निरीक्षण अथवा जाँच के परिणाम पर किए जाने वाली अथवा की गई कार्रवाई के लिए प्रस्तावित है, संबंधी ऐसी कार्रवाई, यदि कोई हो, तो वह कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति से संप्रेषण करेगा।
- (9) यदि, प्रबंधन बोर्ड उचित समय के भीतर कुलाधिपति की संतुष्टि के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है, तो कुलाधिपति ऐसे निर्देश जारी कर सकता है, जैसा वह उचित समझे तथा प्रबंधन बोर्ड ऐसे दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- (10) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाधिपति लिखित आदेश द्वारा विश्वविद्यालय की कोई भी कार्यवाही, जो अधिनियम, संविधियों अथवा अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, को निरस्त कर सकते हैं। बशर्ते कि कुलाधिपति ऐसे किसी आदेश को देने से पूर्व स्वयं द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर विश्वविद्यालय को कारण बताने के लिए कहेगा तथा यदि कोई कारण बताया जाता है, तो उस पर विचार करेगा।
- (11) यदि कुलाधिपति के विचार में, कुलपति अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में जानबूझकर चूक करता है अथवा अस्वीकार करता है या उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है तथा यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि कार्यालय में ऐसे अधिकारी की निरंतरता विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, उक्त अधिकारी को आदेश द्वारा पदच्युत कर सकता है। कुलाधिपति के पास किसी जाँच के लंबित होने या उस पर चिंतन करने के दौरान ऐसे अधिकारी को निलंबित करने की शक्ति होगी।

6. कुलपति – अधिनियम की धारा 11 के अनुसरण में :-

- (1) कुलपति उच्च शिक्षा के स्नातकोत्तर उपाधि स्तर संस्थान में शिक्षण, अनुसंधान तथा प्रशासनिक अनुभव के साथ अध्यापक शिक्षा में प्रख्यात विद्वान होगा। सक्षमता, सत्यनिष्ठा एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर के व्यक्तियों को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- (2) कुलाधिपति द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति ऐसे निबंधनों तथा उसी प्रकार की परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों पर इस प्रकार से की जाएगी जो यूजीसी के प्रावधानों और दिशा-निर्देशों के विपरीत निर्धारित की जा सकती है। सदस्यों की एक समिति द्वारा चयनित तीन नामों (वर्णानुक्रम में लिखे गए) के पैनल से कुलाधिपति द्वारा बाद के कुलपति को नियुक्त किया जाएगा :
 - (क) कुलाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद— अध्यक्ष;
 - (ख) सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, नई दिल्ली—सदस्य सचिव;
 - (ग) यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य नामित किया जाएगा—सदस्य;
 - (घ) दो प्रतिष्ठित शिक्षाविद— सदस्य, जिनके पास अध्यापक शिक्षा, स्कूल शिक्षा, पाठ्यचर्या विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता हो, को कुलाधिपति के द्वारा नामित किया जाएगा।

- (3) कुलपति के रिक्त होने की संभावित तिथि से कम-से-कम तीन माह पूर्व ही पैनल तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी तथा कुलाधिपति द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर इसे पूर्ण किया जाएगा। तथापि, कुलाधिपति इस समय-सीमा को बढ़ा सकते हैं; यदि परिस्थितियों की अत्यावश्यकता में ऐसा करना आवश्यक हो। हॉलाकि, बढ़ाई गई वह अवधि कुल मिलाकर तीन महीने से अधिक नहीं होगी।
- (4) कुलपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए पदधारण करेगा तथा केवल एक और कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि कुलपति के रूप में नियुक्त व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु अथवा यूजीसी द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आयु पूर्ण होने पर पदधारण नहीं करेगा।
- (5) कुलपति की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें निम्न प्रकार से होंगी :-
- (i) कुलपति को सरकार द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के समान वेतन का भुगतान किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पेंशन (किसी राज्य अथवा केंद्र सरकार से) प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इस प्रकार के पेंशन पर विचार करने के पश्चात् उसका/उसकी वेतन को निर्धारित किया जाएगा।
- (ii) कुलपति उप-खंड (1) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित ऐसे अवकाशों, लाभों तथा अन्य भत्तों का हकदार होगा।
- (iii) कुलपति ऐसे सेवांत हितलाभ तथा भत्तों के हकदार होंगे जो यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार कुलाधिपति के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है।
बशर्ते कि जहाँ ऐसे अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा अनुरक्षित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय का कोई कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे/अन्य को किसी भी भविष्य निधि में योगदान को जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है जिसका वह/अन्य सदस्य है तथा विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से योगदान देगा जिस पर ऐसा व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से ठीक पहले योगदान कर रहा था।
आगे यह भी उपबंधित है जहाँ ऐसा अधिकारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा हो, वहाँ विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक योगदान देगा।
- (iv) कुलपति मुफ्त आधिकारिक कार की सुविधा के हकदार होंगे और यह सुविधा समय-समय पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के संबंध में यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी। ऐसी कार के अनुरक्षण के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कुलपति पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- (v) कुलपति विश्वविद्यालय/आवास के उपयोग के हकदार होंगे और इसका उपयोग मकान किराया भत्ता (एचआरए) प्रदान करने के संबंध में यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा जारी नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों द्वारा शासित होगा। ऐसे निवास के अनुरक्षण के संबंध में व्यक्तिगत रूप से कुलपति पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।
- (6) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति न्यायालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- (7) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा तथा विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के निर्णयों को प्रभावी करेगा।
- (8) कुलपति को किसी अन्य प्राधिकरण या विश्वविद्यालय के किसी अन्य निकाय की कोई भी बैठक में उपस्थित होने और उसे संबोधित करने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि वह/अन्य ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।
- (9) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को सरकार द्वारा यथानिर्धारित अवकाश स्वीकृत करने तथा अध्यादेश द्वारा प्रतिपादित मानदंडों के अनुसार ऐसे कर्मचारी (वह/अन्य) की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का अधिकार होगा।
- (10) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों का विधिवत पालन किया जाता है तथा प्राधिकरणों, निकायों एवं समितियों के निर्णय जो अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों के साथ असंगत नहीं हैं, को उचित रूप से लागू किया जाता है।
- (11) कुलपति के पास कुलाधिपति के अनुमोदन से जब भी आवश्यक हो, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षणिक परिषद, भवन और निर्माण समिति की बैठकें, और वित्त समिति, परीक्षा समिति संबंधी न्यायालय की बैठक बुलाने या बैठक कराने की शक्ति होगी।
- (12) कुलपति रिक्त पद के निमित्त एक बार में छः माह से अधिक अवधि के लिए ऐसे व्यक्तियों की अल्पकालिक नियुक्ति कर सकता है, जो अध्यादेश में यथानिर्धारित इस प्रकार के निबंधनों, शर्तों तथा प्रक्रियाओं पर विश्वविद्यालय के कामकाज हेतु वह/अन्य के रूप में ऐसे व्यक्तियों को आवश्यक समझे।
- (13) कुलपति के पास अध्यादेशों द्वारा निर्धारित स्पष्ट नियमों के अनुसार अध्यापकों/अधिकारियों/स्टाफ को कोई अतिरिक्त

जिम्मेदारी सौंपने और हटाने की शक्ति होगी।

- (14) कुलपति के पास दैनिक कार्य के लिए अपनी शक्तियों को सम-कुलपति (कुलपतियों), डीन, केंद्रों के समन्वयकों, निदेशकों और अन्य अधिकारियों/प्रोफेसरों को प्रत्यायोजित करने की शक्ति होगी, जिन्हें इस संबंध में निर्धारित स्पष्ट नियम के आधार पर कार्य करना चाहिए।
- (15) कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन के उचित अनुरक्षणहेतु आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी और वह/अन्य ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के दायरे के भीतर ऐसी कोई शक्ति प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
- (16) कुलपति, यदि उनका/अन्य का विचार है कि किसी भी मामले पर तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, तो अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी पर प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार के मामले पर उसके/अन्य द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट भी करेंगे।
 - (i) बशर्ते कि यदि संबंधित प्राधिकारी का विचार है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह इस मामले को कुलाधिपति को भेज सकता है, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।
 - (ii) आगे यह भी उपबंधित है कि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई भी व्यक्ति जो इस उप-धारा के अंतर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, को ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध प्रबंधन बोर्ड को उस तिथि से जिस पर उसे इस तरह की कार्रवाई की सूचना दी जाती है, से नब्बे दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा तथा उसके पश्चात्प्रबंधन बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि, संशोधन कर सकता है या उसे बदल सकता है।
- (17) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कार्य का निष्पादन करेगा जो अध्यादेशों और विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

7. सम-कुलपति — अधिनियम की धारा 12 के अनुसरण में:—

- (1) प्रत्येक सम-कुलपति की नियुक्ति बोर्ड द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जायेगी:
बशर्ते कि यदि कुलपति की सिफारिश बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है, तो मामले को कुलाधिपति को भेजा जाएगा जो या तो कुलपति द्वारा अनुशसित व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं या कुलपति से बोर्ड के विचारार्थ किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने का अनुरोध कर सकते हैं।
- (2) सम-कुलपति का कार्यकाल कुलपति के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा:
बशर्ते कि एक सम-कुलपति अधिवर्षिता की आयु यानी 65 वर्ष अथवा यूजीसी के रूप में यथानिर्धारित आयु प्राप्त होने पर पदधारण नहीं करेगा।
- (3)
 - (क) सम-कुलपति का वेतन प्रबंधन बोर्ड द्वारा कुलाधिपति के अनुमोदन से यथानिर्णीत होगा।
 - (ख) उप-खंड (क) में निर्दिष्ट वेतन के अतिरिक्त, सम-कुलपति ऐसे निर्धारित अवकाशों, लाभों तथा अन्य भत्तों के हकदार होंगे जो सरकारी नियमों के दायरे के भीतर तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित होंगे।
 - (ग) प्रत्येक सम-कुलपति सरकार द्वारा जारी नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर नियत किए गए ऐसे सेवा लाभों का हकदार होगा।
 - (घ) सरकार द्वारा परिवहन भत्ता और मकान किराया भत्ता के संबंध में जारी नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अधीन सम-कुलपति सरकारी कार और सरकारी आवास के हकदार होंगे। ऐसी कार और निवास के अनुरक्षण के संबंध में व्यक्तिगत रूप से सम-कुलपति पर कोई शुल्क नहीं लगेगा;
- (4) प्रत्येक सम-कुलपति ऐसे मामलों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा जो कुलपति द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कार्यों का निष्पादन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं।

8. डीन — अधिनियम की धारा 13 के अनुसरण में:—

- (1) प्रत्येक डीन कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों या वरिष्ठ संकाय में से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, बशर्ते कि डीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पदधारण नहीं करेगा।
- (2) डीन का रोटेशन प्रोफेसर के रूप में कम से कम तीन वर्षों के अनुभव रखने वाले उपलब्ध प्रोफेसरों में से होना चाहिए।
- (3) जब डीन का पद रिक्त हो या जहां डीन बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने/अन्य पद पर कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, तो उसके/अन्य पद के कर्तव्यों को उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा जो डीन के

रूप में नियुक्ति हेतु वरिष्ठता में अगला होगा, को इस उद्देश्य के लिए कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

- (4) डीन उसे/अन्य को निर्दिष्ट कार्यात्मक क्लस्टर का प्रमुख होगा तथा उसे सौंपे गए कामकाज में कार्य के मानकों के संचालन और अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।
- (5) डीन के कर्तव्य और उत्तरदायित्व अध्यादेश में यथानिर्धारित होंगे।

9. रजिस्ट्रार —अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में—

- (1) प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, ऐसी रीति से, ऐसी शर्तों के लिए और ऐसी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों पर की जाएगी, जो विहित की जाएं। बाद के रजिस्ट्रारों को प्रबंधन बोर्ड द्वारा गठित एक चयन समिति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक कुलसचिव को चयन समिति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और कुलपति के नियंत्रण में काम करेगा।
- (3) एक रजिस्ट्रार की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तथा समय-समय पर यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा जारी नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के दायरे में होंगी।
- बशर्ते कि एक रजिस्ट्रार अधिवर्षिता की आयु यानी 62 वर्ष या यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होगा।
- (4) एक रजिस्ट्रार के पास अध्यापकों को छोड़कर कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जैसा कि प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस संबंध में किए गए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (5) ऐसे निर्णय के संप्रेषण से तीस (30) दिनों के भीतर खंड (4) के अनुसरण में रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के विरुद्ध कुलपति को अपील की जा सकती है;
- (6) ऐसे मामलों में जहां किसी जांच से पता चलता है कि रजिस्ट्रार की शक्तियों से परे दंड के लिए कहा जाता है, तो रजिस्ट्रार, जांच के परिणामस्वरूप, कुलपति को ऐसी कार्रवाई के लिए उसकी/अन्य की सिफारिशों के साथ रिपोर्ट करेगा, जैसा कुलपति उचित और यथोचित समझे।
- बशर्ते कि इस प्रकार के मामले में, ऐसे निर्णय के संप्रेषण से तीस (30) दिनों के भीतर किसी कर्मचारी पर कोई जुर्माना लगाने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध प्रबंधन बोर्ड को अपील की जा सकती है।
- (7) रजिस्ट्रार अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों या विनियमों में निर्दिष्ट किए गए या प्रबंधन बोर्ड और कुलपति द्वारा समय-समय पर आवश्यक ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा।
- (8) एक रजिस्ट्रार इस प्रकार नामित उत्तरदायी होगा—
- (क) विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड और विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रशासनिक, शैक्षणिक, कानूनी, या किसी अन्य मामले के संबंध में विश्वविद्यालय की ओर से रिकॉर्ड को भी प्रमाणित करने के लिए प्रबंधन बोर्ड या विश्वविद्यालय के कुलपति ऐसा निर्देश दे सकते हैं;
- (ख) विश्वविद्यालय की सभी संपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करना जब तक कि अन्यथा प्रबंधन बोर्ड द्वारा उसके लिए प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक वह/अन्य विश्वविद्यालय की संपत्तियों और परिसंपत्तियों के यथोचित अनुरक्षण और रखरखाव हेतु उत्तरदायी होंगे;
- (ग) विश्वविद्यालय के आधिकारिक पत्राचार का संचालन करना और विश्वविद्यालय के समस्त अभिलेखों के उचित अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होना;
- (घ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और ऐसे प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त समिति हेतु सभी नोटिसोंको जारी करना और बैठकें बुलाना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और ऐसे प्राधिकारियों द्वारा गठित समिति(यों) की बैठकों का कार्यवृत्त रखना;
- (च) आधिकारिक कार्यवाही तथा पत्राचार का संचालन करना;
- (छ) विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के आदेशों का पालन करना जिसके लिए उसे विधिवत रूप से सशक्त किया जाएगा;
- (ज) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के निर्णयों के अधीन रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा अभिलेखों को प्रमाणित करने की शक्ति होगी;
- (झ) कुलपति/बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना और विधिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना तथा उसके अभिवचनों का सत्यापन करना;
- (ञ) कुलाधिपति/कुलपति को समय-समय पर विश्वविद्यालय के संबंध में मूल्यांकित सभी महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाहियों से अवगत कराना और बोर्ड के समक्ष ऐसी सभी जानकारी रखने के लिए बाध्य होगा जो उसके व्यवसाय संचालन हेतु आवश्यक हो सकता है।
- (9) रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार के रैंक के अध्यापकों और अधिकारियों तथा उसके उपरोक्त (या) समकक्ष पदों को धारण करने वाले अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाला और अनुशासनात्मक प्राधिकारी

होगा।

- (10) रजिस्ट्रार समय-समय पर प्राधिकरणों, निकायों (या) समितियों द्वारा अनुमोदित संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों की पुस्तिका तैयार और अद्यतन करेगा तथा उन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों एवं अधिकारियों के सभी संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराएगा।
- (11) यदि रजिस्ट्रार का पद रिक्त है या जब रजिस्ट्रार खराब स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ है, तो कुलपति के पास विश्वविद्यालय के अध्यापक/अधिकारी को रजिस्ट्रार के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा,
जब तक कि नया रजिस्ट्रार अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता या मौजूदा रजिस्ट्रार अपने पदभार के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता, जैसाभी मामला हो।

10.परीक्षा नियंत्रक—अधिनियम की धारा 15 के अनुसरण में:—

- (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति की अनुशंसा पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जायेगी। वह/अन्य विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। तथापि, कुलपति के पास नियमित नियुक्ति होने तक विश्वविद्यालय के किसी भी प्रोफेसर को परीक्षा नियंत्रक के कर्तव्यों को निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा।
- (2) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और परीक्षकों के व्यवस्थित और समय पर संचालन तथा उनके परिणामों की घोषणा हेतु उत्तरदायी होगा। वह/अन्य अपने कार्य से संबंधित अभिलेखकी अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होंगे। इसमें परीक्षाओं के संचालन और परिणामों की घोषणा से संबंधित सभी अभिलेख शामिल हैं।
- (3) परीक्षा—समिति के अधीक्षण के अधीन, परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति के पदेन सदस्य—सचिव होगा और परीक्षाओं का संचालन करेगा तथा उससे संबंधित अन्य सभी व्यवस्थाएँ करेगा और उनसे जुड़ी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा।
- (4) परीक्षा नियंत्रक सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं हेतु परीक्षा योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस प्रकार तैयार की गई योजना के अनुसार परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (5) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा के शैक्षणिक कलेंडर के माध्यम से विश्वविद्यालय परीक्षाओं को अधिसूचित करेगा।
- (6) प्रश्नपत्र के मुद्रण हेतु परीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी होगा।
- (7) परीक्षा नियंत्रक परीक्षा केन्द्र (केन्द्रों) को निश्चित करेगा और परीक्षा समिति द्वारा यथानिर्णित तथा कुलपति के पूर्व अनुमोदन से केन्द्र अधीक्षक नियुक्त करेगा।
- (8) परीक्षा नियंत्रक के पास कुलपति के अनुमोदन से उड़नदस्ते/पर्यवेक्षक या उसके/अन्य द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा "परीक्षाओं और संबंधित गतिविधियों" का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी।
- (9) परीक्षा के स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने तथा परीक्षा के कैलेंडर में यथानिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर परिणाम घोषित करने का कर्तव्य परीक्षा नियंत्रक का है।
- (10) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों को अधिसूचित करेगा और परीक्षा के कैलेंडर में यथानिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर परिणामों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में भी प्रकाशित करेगा।
- (11) परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं से संबंधित अभिलेखों का प्रभावी तरीके से और त्वरित पुनर्प्राप्ति को सक्षम करने वाली प्रणालियों के माध्यम से अनुरक्षण सुनिश्चित करेगा।
- (12) परीक्षा नियंत्रक एक निर्धारित प्रारूप में छात्रों का एक डेटाबेस बनाए रखेगा जो छात्रों को निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करता हो।
- (13) परीक्षा नियंत्रक, मानद उपाधियों को छोड़कर, उपाधि प्रदान करने के लिए अभ्यर्थियों के नाम (नामों) अकादमिक परिषद को अग्रेषित करेगा।
- (14) कुलपति के अनुमोदन से परीक्षा नियंत्रक पेपर सेटर, टेबुलेटर, कोलेटर, मॉडरेटर, ऑब्जर्वर और उड़नदस्ते आदि की नियुक्ति करेंगे तथा परीक्षक, पेपर सेटर, मॉडरेटर आदि तथा परीक्षा से संबंधित कार्यों के लिए आमंत्रित व्यक्तियों के यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता/मानदेय एवं पारिश्रमिक बिलों के संबंध में नियंत्रक अधिकारी होंगे।
- (15) परीक्षा नियंत्रक, कुलपति के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत परीक्षा समिति बोर्ड और परीक्षाओं के संबंध में नियत समितियों की बैठक बुलाने से संबंधित सभी नोटिस जारी करेगा तथा ऐसी सभी बैठकों के कार्यवृत्त बनाए रखेगा।
- (16) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाओं से संबंधित किसी भी कदाचार को तत्काल परीक्षा समिति और कुलपति के ध्यान में लाया जाए तथा विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयुक्त रूप से निपटा जाएगा।

- (17) परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा अनुभाग के कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में अधिनियम, संविधियों में यथानिर्धारित और यथाअधिसूचित रजिस्ट्रार के पास समस्त शक्तियाँ होंगी।
- (18) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी।
बशर्ते कि परीक्षा नियंत्रक अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 62 वर्ष या यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो होगा।
- (19) परीक्षा नियंत्रक समय-समय पर कुलपति द्वारा उसे/अन्य को यथानिर्दिष्ट अन्य कोई उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

11. वित्त नियंत्रक —अधिनियम की धारा 16 के अनुसरण में:—

- (1) प्रबंधन बोर्ड वित्त नियंत्रक की नियुक्ति हेतु एक चयन समिति का गठन करेगा।
- (2) वित्त नियंत्रक की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी (प्रथम वित्त नियंत्रक को छोड़कर, जिसे कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा)। वह/अन्य विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे और कुलपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।
- (3) वित्त नियंत्रक की परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेशों द्वारा निर्धारित की जाएंगी:
बशर्ते कि वित्त नियंत्रक अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 62 वर्ष या यूजीसी द्वारा यथानिर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।
- (4) जब वित्त नियंत्रक का पद रिक्त हो या जब वित्त नियंत्रक खराब स्वास्थ्य, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से वित्त नियंत्रक के रूप में अपने/अन्य के कार्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो, तो इस प्रयोजन हेतु कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाएगा।
- (5) वित्त नियंत्रक, वित्त समिति का सदस्य-सचिव होगा। उसे वित्तीय प्रभाव वाले मामलों पर प्रबंधन बोर्ड की कार्यवाही में उपस्थित होने,
बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा।
- (6) वित्त नियंत्रक —
- (क) विश्वविद्यालय की निधियोंपर सामान्य पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगा और इसे अपनी वित्तीय नीतियों के संबंध में सलाह देगा; और
- (ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का निष्पादन करेगा जो उसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं अथवासंविधियों या अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि कुलपति के पूर्व अनुमोदन के बिना वित्त नियंत्रक एक लाख रुपये से अधिक की राशि या ऐसी कोई अन्य राशि का व्यय या निवेश नहीं करेगा जो प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- (7) कुलपति और प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण के अधीन वित्त नियंत्रक—
- (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार करेगा तथा वित्त समिति द्वारा उसके अनुमोदन के पश्चात् प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत करेगा;
- (ख) विश्वविद्यालय द्वारा यथानिर्धारित वित्त-नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय हेतु वित्त समिति द्वारा निर्धारित सीमाएं संबंधित पूर्व-निर्धारित मूल्यों से अधिक न हो, तथा धन उन उद्देश्यों के लिए व्यय किया जाता है जिसके लिए इसे स्वीकृत या आवंटित किया गया है;
- (घ) खाताओं, और बैंक बैलेंस तथा निवेशों पर निरंतर नजर रखेगा।
- (ङ) राजस्व संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण के तरीकों पर सलाह देगा।
- (च) कुलपति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय-निधियों के यथोचित और समय पर निवेश के लिए उत्तरदायी होगा;
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की निधियों का निवेश इस प्रकार किया जाए जिससे विश्वविद्यालय को लाभ हो;
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर, मशीनरी और उपकरणों का रजिस्टर अद्यतन होतथा विश्वविद्यालय में वार्षिक रूप से उनके स्टॉक की जांच की जा रही है;
- (झ) किसी भी अनाधिकृत व्यय या अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करेगा और दोषीव्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सुझाव देगा तथा रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्ताव रखेगा कि किसी विशेष मामले में अनाधिकृत व्यय (व्ययों) में अनियमितताओं के लिए किसी गैर-शैक्षणिक सदस्य के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा जाए और वह दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा;
- (ञ) विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यालय से, कोई भी जानकारी या अभिलेखों/विवरणियोंके लिए बुलाएगा जो अपने/अन्य के

कार्यों का निष्पादन करने के लिए आवश्यक माना जाता है;

(ट) किसी भी वित्तीय मामले में या तो स्वतःसंज्ञान लेते हुए या उसके/अन्य की सलाह मांगी जा रही है, पर सलाह देगा;

(ठ) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे/अन्य को निर्दिष्ट किए जा सकते हैं या उसके अधीन बनाए गए अध्यादेशों और विनियमों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं;

(ड) विश्वविद्यालय वार्षिक रूप से खातों की पुस्तकों के आंतरिक और बाहरी ऑडिट कराने के लिए उत्तरदायी होगा।

(8) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय में बनाए गए विशेष कोष जैसे पूर्व छात्र कोष, छात्र कल्याण कोष, प्रायोजक, और प्रबंधन बोर्ड द्वारा स्थापित किसी अन्य विशेष कोष का अनुरक्षण करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके खातों का अनुरक्षण किया जाता है तथा उक्त धन का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिनके लिए कोष बनाया गया था।

(9) वित्त नियंत्रक या प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस संबंध में विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई कोई भी रसीद विश्वविद्यालय को धन का भुगतान के लिए पर्याप्त होगी।

12. प्रबंधन बोर्ड:-अधिनियम की धारा 21 और 22 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित को एतद् द्वारा निर्धारित करता है:-

(1) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और, इस प्रकार, विश्वविद्यालय का कामकाज चलाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बनी संविधियों के तहत उसके पास आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और इस उद्देश्य से तथा साथ ही इसके अंतर्गत संबंधित मामलों पर अध्यादेश और विनियम बनाए जा सकते हैं;

2. प्रबंधन बोर्ड के पास निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात:

(क) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक की नियुक्ति करेगा;

(ख) अपनी वार्षिक बैठक में न्यायालय को प्रस्तुत करने के लिए :

(ग) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट

(घ) वार्षिक लेखें

(ड.) विश्वविद्यालय के वित्त, खातों, निवेशों, संपत्तियों, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबंधन और विनियमन करना और उस उद्देश्य के लिए, समितियों का गठन करना और विश्वविद्यालय की ऐसी समितियों या ऐसे अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित करना, जिसे वह उचित समझे।

(च) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी धन का निवेश करने के लिए, किसी भी अप्रयुक्त आय सहित, ऐसे स्टॉक, फंड, शेयर या प्रतिभूतियों में, जो समय-समय पर, उचित समझे, या भारत में अचल संपत्ति की खरीद में, इस प्रकार की शक्ति के साथ भूमि अधिग्रहण या सरकार की सहायता से निर्मित भवनों को छोड़कर समय-समय पर इस तरह के निवेश को अलग करना, जिन मामलों में सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(छ) विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंधन करने, उसमें परिवर्तन करने, उसको पूर्ण करने अथवा रद्द करने के लिए तथा जैसा उपयुक्त समझा जाता हो, इस उद्देश्य के लिए ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना।

(ज) विश्वविद्यालय के कार्य के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर, उपकरण और अन्य आवश्यक माध्यमों की व्यवस्था करना।

(झ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की किसी भी शिकायत पर विचार करना, उन पर निर्णय लेना और यदि उपयुक्त समझा जाता हो, तो उनका समाधान करना।

(ञ) संस्थान का निर्माण करना और संस्थान में शैक्षणिक के साथ-साथ अन्य पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना और कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों की निबंधन एवं शर्तें और वेतन संरचना का निर्धारण करना। बशर्ते कि पदों के सृजन, कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के निबंधन और शर्तें तथा उनकी वेतन संरचना का निर्धारण यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमनों/दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

(ट) शिक्षण, प्रशासनिक और लिपिकीय पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

(ठ) शैक्षणिक परिषद से परामर्श करने के बाद परीक्षकों और मध्यस्थों की नियुक्ति करना, और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनके शुल्क, परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते तय करना।

(ड) विश्वविद्यालय के लिए एक कॉमन सील का चयन करना।

(ढ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिए जिन्हें इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत आवश्यक समझा जा सकता है या उस पर लगाया जा सकता है।

3. प्रबंधन बोर्ड के पास अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई संविधियों के प्रावधानों के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबंधन और प्रशासन की समग्र शक्ति होगी:-

(क) नए विभागों, स्कूलों और केंद्रों तथा नए शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों, विशेष अध्ययनों, छात्रावासों के निर्माण के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा तथा स्टॉफ हेतु आवास प्रदान करेगा।

- (ख) विश्वविद्यालय में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू करने, और विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में वृद्धि/कमी, आधारभूत संरचना और प्रयोगशाला की आवश्यकताओं तथा शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की आवश्यकताओं के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।
- (ग) यूजीसी/एआईसीटीई/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना तथा शिक्षण और अन्य शैक्षणिक पदों का सृजन करेगा।
- (घ) यूजीसी/एआईसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् अध्यापकों व अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए अर्हता और पात्रता की अन्य शर्तें निर्धारित करेगा।
- (ङ) इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समितियों की सिफारिशों पर यथावश्यक ऐसे प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, अन्य अध्यापकों एवं ऐसे शैक्षणिक स्टाफकी नियुक्ति करेगा।
- (च) विश्वविद्यालयों के सभी अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों के चयन के लिए विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन करेगा।
- (छ) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार विजिटिंग प्रोफेसरों, सहायक संकाय, सम्मानपूर्वक सेवामुक्त प्रोफेसरों, अध्यक्ष प्रोफेसरों की नियुक्ति हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करेगा तथा ऐसी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करेगा।
- (ज) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य आवश्यक पद सृजित करेगा; यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार इसकी अर्हता, पात्रता, सेवा की अन्य शर्तें निर्धारित करेगा और इसके अतिरिक्त नियुक्ति करने के तरीके को निर्दिष्ट करेगा।
- (झ) कुलपति को छोड़कर सभी पदों पर नियुक्तियां करेगा तथा ऐसे सभी पदों के लिए बोर्ड अनुशासनात्मक प्राधिकारी होगा।
- (ञ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय देना या उनका समाधान करना जो किसी भी कारण से उस प्रभाव से व्यथित अनुभव करते हैं, वास्तविक आधार पर उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए वेब पोर्टल बनाना।
- (ट) संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों और छात्रों के बीच अनुशासन को विनियमित करना तथा लागू करना।
- (ठ) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई द्वारा निर्धारित अनुसार परीक्षकों की नियुक्ति हेतु व्यापक नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
- (ड) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार शैक्षणिक परिषद या अन्य प्राधिकरण के प्रस्ताव पर विचार करने के पश्चात् परीक्षकों/विशेषज्ञों/परामर्शदाताओं/समिति सदस्यों/पर्यवेक्षकों आदि को देय पारिश्रमिक/मानदेय/यात्रा व्यय आदि निर्धारित करना।
- (ढ) विश्वविद्यालय की ओर से किसी अचल या चल संपत्ति का हस्तांतरण करना या हस्तांतरण की स्वीकृति देना।
- (ण) विश्वविद्यालय में छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए विभिन्न पदक, पुरस्कार, सम्मान और प्रमाण-पत्र स्थापित करना। शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर आधारित बोर्ड द्वारा पदकों/पुरस्कारों आदि की प्रकृति/मूल्य और उनकी पात्रता की शर्तों और दिशा-निर्देशों पर निर्णय लिया जाएगा।
- (त) स्नातकोत्तर और/या स्नातक छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति, वजीफा, छात्रवृत्ति आदि स्थापित करना।
- (थ) विश्वविद्यालय में उपलब्ध राशि में बचत/आरक्षित निधि/अधिशेष के उपयोग और निवेश के तरीके को निर्धारित और अनुमोदित करना।
- (द) अपनी किसी भी शक्ति को कुलपति (या) ऐसे अन्य अधिकारियों (या) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों (या) इसके द्वारा नियत समिति को, अध्यादेश बनाने, संशोधन करने (या) निरस्त करने की शक्ति को छोड़कर प्रत्यायोजित करेगा;
- (ध) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो अधिनियम या संविधियों द्वारा प्रदत्त या उस पर लागू हो सकते हैं।
- (न) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना (या) निरस्त करना और प्रारूप संविधियां तैयार करना;
- (प) अध्यादेशों में निर्धारित अनुसार समय-समय पर कुलपति से विश्वविद्यालय के कामकाज की रिपोर्ट प्राप्त करेगा और उस पर विचार करेगा ;
- (फ) शुल्क और अन्य प्रभार निर्धारित करेगा;
- (ब) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति से पहले अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई द्वारा संविधियों/दिशा-निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करेगा;
- (भ) विश्वविद्यालय के योजना बोर्ड द्वारा तैयार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना पर विचार करना;

- (क) प्रबंधन बोर्ड की तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी और ऐसी बैठकों के लिए कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस दिया जाएगा।
- (ख) प्रबंधन बोर्ड की बैठकें रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति के निर्देशों के तहत या प्रबंधन बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जाएंगी।
- (ग) प्रबंधन बोर्ड के एक तिहाई सदस्य किसी भी बैठक में कोरम का निर्माण करेंगे।
- (घ) सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में बहुमत की राय मान्य होगी।
- (ङ.) प्रबंधन बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि मतों की समानता का प्रश्न उठता है तो इसका निर्धारण प्रबंधन बोर्ड, प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष या, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास अतिरिक्त मत होगा जो इस स्थिति में निर्णायक माना जाएगा।
- (च) प्रबंधन बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए सदस्य द्वारा की जाएगी।
- (छ) यदि प्रबंधन बोर्ड द्वारा तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक हो जाती हो, तो कुलपति, प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों को कागजात जारी करके व्यावसायिक लेन-देन के लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि प्रबंधन बोर्ड के सदस्यों का बहुमत सहमत न हो जाता हो इस प्रकार की जाने वाली कार्रवाई से प्रबंधन बोर्ड के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा और यदि संबंधित प्राधिकारी कोई निर्णय लेने में असफल रहते हैं, तो मामला कुलपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
5. बोर्ड विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिनियम, अध्यादेशों, विनियमों द्वारा अन्यथा न प्रदान की गई विश्वविद्यालय की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।
6. नीति निर्माण की आवश्यकता वाले विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक मामलों को शैक्षणिक परिषद के प्रस्तावों के अनुसार बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएगी। शैक्षणिक परिषद प्रबंधन बोर्ड द्वारा इस पर संदर्भित या सौंपे गए किसी भी मामले पर सलाह/रिपोर्ट देगी।

13. शैक्षणिक परिषद—अधिनियम की धारा 23 में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त :—

- (1) शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगी, संविधियां तथा अध्यादेश का इस पर नियंत्रण एवं विनियम होगा और विश्वविद्यालय के भीतर अनुदेश, शिक्षा, अनुसंधान एवं परीक्षा के मानदंड के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा संविधियों द्वारा यथाप्रदत्त अथवा सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादित करेगी;
- (2) शैक्षणिक परिषद् को सभी शैक्षणिक मामलों पर प्रबंधन बोर्ड को सलाह देने का अधिकार होगा;
- (3) शैक्षणिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :
- (क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा;
- (ख) अध्यापक शिक्षकों या प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से तीन व्यक्ति या जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, और सरकार द्वारा नामित है;
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या उसके परवर्ती एक नामित व्यक्ति
- (घ) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या नियामक निकाय का एक नामित व्यक्ति;
- (ङ.) सभी विद्यालयों के प्रमुख
- (च) परीक्षा नियंत्रक
- (छ) शिक्षण स्टाफ के तीन सदस्य, प्रत्येक क्रमशः वरिष्ठता के अनुसार आवर्तन पर कुलपति द्वारा नामित प्रोफेसर, एसोशिएट और सहायक प्रोफेसरों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- (ज) निदेशक, उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (या) उसका नामित व्यक्ति
- (झ) निदेशक, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (या) उसका नामित व्यक्ति
- (ञ) संविधियों द्वारा यथानिर्धारित ऐसे अन्य सदस्य।
- (ट) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त शैक्षणिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा;
- (4) इस अधिनियम, संविधियों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन प्रबंधन बोर्ड के संपूर्ण पर्यवेक्षण में, शैक्षणिक परिषद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक कार्यों और मामलों का प्रबंधन करेगी और उसे विशेषकर निम्नलिखित शक्तियां और कार्य सौंपे जाएंगे, अर्थात् :—
- (क) प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदत्त अथवा प्रत्यायोजित किसी मामलों पर रिपोर्ट देना;
- (ख) यूजीसी/एआईसीटीई/एनसीटीई/राज्य सरकार के विद्यमान नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय में शिक्षा पदों के सृजन, उन्मूलन अथवा वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित देय परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;

- (ग) प्रभाग के संगठन हेतु योजनाओं का निर्माण तथा आशोधन या संशोधन करने के लिए और ऐसे प्रभागों को उनके संबंधित विषयों को सौंपने के लिए तथा प्रबंधन बोर्ड को किसी भी प्रभाग के उन्मूलन या उप-विभाजन या एक प्रभाग का दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के बारे में रिपोर्ट करना।
- (घ) अध्यादेशों के माध्यम से विश्वविद्यालय में उन नामित व्यक्तियों के अतिरिक्त व्यक्तियों के अनुदेशन और परीक्षा हेतु व्यवस्था की सिफारिश करना।
- (ङ.) विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देना और ऐसी अनुसंधान पर समय-समय पर रिपोर्ट लेना;
- (च) फैकल्टी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
- (छ) विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए नीतियां निर्धारित करना;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय के प्रमाण-पत्रों, डिप्लोमा और डिग्रियों के संबंध में उनके समकक्ष निर्धारित करना;
- (झ) बोर्ड द्वारा स्वीकार्य किसी शर्त के अधीन, फेलोशिप, छात्रवृत्ति और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता की शर्तें, समय और माध्यम तय करना और उनके लिए पुरस्कार की सिफारिश करना;
- (ञ) परीक्षकों की नियुक्ति करने, और यदि उन्हें हटाना आवश्यक हो तथा उनका प्रभार, परिलब्धियां और यात्रा-भत्ता तथा अन्य खर्च निर्धारित करने के संबंध में प्रबंधन बोर्ड से सिफारिश करना।
- (ट) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना तथा संचालन की तारीखों के लिए सिफारिश करना;
- (ठ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना और उनकी समीक्षा करना अथवा ऐसा करने के लिए समितियां अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्रियां, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, उपाधि और अंक तालिका प्रदान करने अथवा प्रदान करने के संबंध में सिफारिश करना ;
- (ड) वृत्तिका, छात्रवृत्तियां, मैडल और पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित ऐसी अन्य शर्तों तथा विनियमों के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना, इन सिफारिशों को विश्वविद्यालय द्वारा केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन से लागू किया जा सकता है, यदि इस संबंध में व्यय सरकारी सहायता अनुदान से पूरा किया जाना है।
- (ढ) अध्ययन के लिए निर्धारित कोर्स हेतु पाठ्यक्रम तथा उसकी निर्धारित और सिफारिश की गई पाठ्य पुस्तकों की अनुमोदित और संशोधित सूची का प्रकाशन करने का अनुमोदित करना;
- (ण) समय-समय पर ऐसे फॉर्म और रजिस्ट्रारों का अनुमोदन करना, जो अध्यादेश तथा विनियमनों द्वारा अपेक्षित हैं;
- (त) समय-समय पर शिक्षा के अपेक्षित मानकों का सृजन करना ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को तैयार करने में उनका पालन किया जा सके;
- (थ) शैक्षणिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का निष्पादन करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए अध्यादेश और विनियम के समुचित अनुपालन के लिए आवश्यक हो सकते हैं;
- (न) उद्योग, वाणिज्य, व्यवसायों, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक प्रतिष्ठानों और अनुसंधान संगठनों के साथ घनिष्ठ संबंध को बढ़ावा देना तथा बनाए रखना;
- (5)
- (क) शैक्षणिक परिषद आवश्यक होने पर बैठकें कर सकती है, किंतु ऐसी बैठकों की संख्या एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान तीन से कम नहीं होनी चाहिए;
- (ख) शैक्षणिक परिषद की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए शैक्षणिक परिषद के एक-तिहाई सदस्य उपस्थित होने चाहिए;
- (ग) यदि सदस्यों में किसी मामले को लेकर मतभेद होता है, तो बहुमत की राय सभी के लिए मान्य होगी;
- (घ) शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष सहित शैक्षणिक परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट तय होगा और यदि शैक्षणिक परिषद द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो शैक्षणिक परिषद अध्यक्ष या जैसा भी मामला हो, उस बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के पास, अतिरिक्त रूप से, एक निर्णायक मत होगा;
- (ङ.) शैक्षणिक परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में, इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए बैठक में चयनित सदस्य द्वारा की जाएगी।
- (च) यदि शैक्षणिक परिषद द्वारा तात्कालिक कार्यवाई आवश्यक हो जाती हो, तो शैक्षणिक परिषद का अध्यक्ष व्यावसायिक लेन-देन के लिए शैक्षणिक परिषद के सदस्यों को कागजात जारी करके अनुमति प्रदान कर सकते हैं। की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि शैक्षणिक परिषद के सदस्यों का बहुमत सहमत न हो जाता हो। इस प्रकार की जाने वाली कार्यवाई से शैक्षणिक परिषद के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा। यदि संबंधित प्राधिकारी कोई निर्णय लेने में असफल रहते हैं, तो मामला कुलधिपति को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा;

14. वित्त समिति —

वित्त समिति का गठन, शक्तियां, कार्य और बैठकें अधिनियम की धारा 25 के अनुसार होंगी

15. स्कूल एवं प्रभाग—अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में:—

- (1) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अध्ययन के स्कूलों और अनुसंधान तथा प्रभागों की संख्या होगी।
- (2) स्कूल तथा प्रभागों का गठन, शक्तियां एवं कार्य ऐसे होंगे जो संविधियों द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- (3) प्रत्येक स्कूल को अध्यादेशों द्वारा नियत ऐसे प्रभागों का गठन करना होगा।
- (4) प्रत्येक स्कूल का एक डीन होगा जो आवर्तन द्वारा प्रधान प्रभाग से वरिष्ठतम संकाय होगा।
- (5) प्रत्येक प्रभाग में निम्न सदस्य सम्मिलित होंगे:— (I) प्रभाग के संकाय सदस्य (II) प्रभाग में अनुसंधान का संचालन करने वाले व्यक्ति (III) प्रभाग प्रमुख (IV) प्रभाग से जुड़े माननीय प्रोफेसर, यदि कोई है तो; तथा (V) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अध्यादेशों के प्रावधान के अनुसार प्रभाग के सदस्य हो सकते हैं।

16. योजना बोर्ड—अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में :—

1. विश्वविद्यालय के प्रमुख नियोजन निकाय के रूप में विश्वविद्यालय के एक योजना बोर्ड का गठन किया जाएगा और यह विश्वविद्यालय के विकास की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी होगा।
2. योजना बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों का कार्यकाल और उसकी शक्तियां तथा कार्य प्रबंधन बोर्ड के यथानिर्धारित अनुसार होंगे।

17. चयन समितियाँ —

- (1) पदों पर नियुक्ति के लिए प्रबंधन बोर्ड को सिफारिशें करने हेतु चयन समितियों का गठन किया जाएगा;
- (क) रजिस्ट्रार
- (ख) परीक्षा नियंत्रक
- (ग) वित्त नियंत्रक
- (घ) प्रोफेसर
- (ङ.) एसोसिएट प्रोफेसर
- (च) सहायक प्रोफेसर
- (छ) अन्य शिक्षक और शैक्षणिक स्टाफ
- (ज) गैर-शिक्षण स्टाफ
- (2) प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और सहायक प्रोफेसरों के इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

(क) प्रोफेसर :

- (i) कुलपति जो समिति के अध्यक्ष होंगे।
 - (ii) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो, जहां भी लागू हो।
 - (iii) संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासांगिक वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।
 - (iv) संकाय के डीन, जहां भी लागू हो
 - (v) विभाग/स्कूल के प्रमुख/अध्यक्ष।
 - (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों से संबंधित एक शिक्षाविद, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई उम्मीदवार आवेदक है, तो कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।
- दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

(ख) एसोसिएट प्रोफेसर :

- (i) कुलपति या उनके नामित व्यक्ति, जिनके पास प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (ii) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो, जहां भी लागू हो।
- (iii) विश्वविद्यालय के संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय/क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ।
- (iv) संकाय के डीन, जहां भी लागू हो।
- (v) विभाग/स्कूल के प्रमुख/अध्यक्ष।
- (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद, यदि इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है, तो कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।

दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

(ग) सहायक प्रोफेसर :

- (i) कुलपति या उनके नामित व्यक्ति, जिनके पास प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो, समिति के अध्यक्ष होंगे।
- (ii) कुलाध्यक्ष/कुलाधिपति द्वारा नामित एक शिक्षाविद जो प्रोफेसर के पद से नीचे का न हो, जहां भी लागू हो।
- (iii) संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के तीन विशेषज्ञ।
- (iv) संकाय के डीन, जहां भी लागू हो।
- (v) संबंधित विभाग/स्कूल का प्रमुख/अध्यक्ष
- (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद, यदि कुलपति द्वारा नामित उम्मीदवारों में से कोई उम्मीदवार, यदि इनमें से किसी भी श्रेणी का कोई उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।

दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्यों से कोरम पूरा होगा।

- (3) रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- (i) समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति;
- (ii) प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उनके नामित व्यक्ति।
- (iii) प्रबंधन बोर्ड का एक सदस्य जिससे बोर्ड द्वारा उसके सदस्यों में से नामित किया जाएगा;
- (iv) बोर्ड द्वारा अनुमोदित पैनल में से कुलपति द्वारा नामित किए जाने वाले प्रशासन और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता रखने वाले तीन प्रतिष्ठित पेशेवर;
- (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक अधिकारी/शिक्षाविद (ग्रुप-ए रैंक का) कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों में से कोई आवेदक हैं और यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है।
- (vi) रजिस्ट्रार सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा, सिवाय इसके कि जहां वह स्वयं पद के लिए और रजिस्ट्रार के पद हेतु उम्मीदवार हो;

चयन समिति के पांच सदस्य (जिनमें उपरोक्त श्रेणी (vi) से कम से कम एक सदस्य शामिल होगा) खंड (3) के तहत गठित चयन समिति की बैठक के लिए एक कोरम पूरा करेंगे।

- (4) शैक्षणिक स्टाफ के अतिरिक्त स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

- (i) समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति या उसके द्वारा नामित व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के सम-कुलपति के पद से नीचे का न हो;
- (ii) सदस्य-सचिव के रूप में रजिस्ट्रार;
- (iii) प्रधान सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, दिल्ली सरकार या उसके द्वारा नामित व्यक्ति।
- (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिलाओं/दिव्यांग श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रुप-ए के रैंक का एक अधिकारी/शिक्षाविद कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों में से कोई आवेदक है और यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं है;

बशर्ते कि जब भी आवश्यक हो, दो विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा उपरोक्त चयन समिति में नामित किया जा सकता है।

खंड (4) के अंतर्गत गठित चयन समिति की बैठक के कोरम के लिए तीन सदस्य होंगे।

- (5) संबंधित श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कैरियर एडवांस योजना सहित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए उपरोक्त सभी चयन समितियां एक समान होंगी।
- (6) उपरोक्त (2) से (4) के अंतर्गत न आने वाले अन्य पदों के लिए चयन समिति का गठन प्रबंधन बोर्ड द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से किया जायेगा।
- (7) इस संविधि के अंतर्गत गठित चयन समितियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया, सिफारिशें करने में, अध्यादेशों में निर्धारित अनुसार होगी।

18.अन्य प्राधिकारो—

अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कार्य, जिन्हें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में संविधियों द्वारा घोषित किया जा सकता है, वे ऐसे होंगे जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

19. परीक्षा समिति – अधिनियम की धारा 28 के अनुसरण में—

परीक्षा समिति का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और इसकी शक्तियां और कार्य अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

20. अन्य समितियाँ –

- (1) विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकरण उतनी स्थायी या विशेष समितियाँ नियुक्त कर सकता है जितनी वह उचित समझे और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।
- (2) धारा 18(1) के तहत नियुक्त कोई भी समिति, उसे प्रत्यायोजित किसी भी विषय का निपटान कर सकती है और कार्रवाई करने से पहले, यदि कोई हो, उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी से उसकी पुष्टि की मांग करेगी।

21. अध्ययन बोर्ड –

- (1) प्रत्येक विद्यालय में एक अध्ययन बोर्ड होगा और प्रथम विद्यालय बोर्ड के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए शैक्षणिक परिषद द्वारा नामित किया जाएगा।
- (2) अध्ययन बोर्ड की बैठकों का संचालन और ऐसी बैठकों लिए आवश्यक कोरम अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (3) शैक्षणिक परिषद के संपूर्ण पर्यवेक्षण के अधीन, अध्ययन बोर्ड के कार्य विभिन्न डिग्रियों और अनुसंधान डिग्रियों की अन्य आवश्यकताओं के लिए विषयों को अनुमोदित करना और अध्यादेशों द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित अध्ययन बोर्डों को सिफारिश करना होगा।

(क) अध्ययन के कार्यक्रम और पाठ्यक्रम तथा

(ख) शिक्षण और अनुसंधान के स्तर में सुधार के उपाय

बशर्ते कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तुरंत बाद तीन वर्षों की अवधि के दौरान अध्ययन बोर्ड के उपरोक्त कार्य, स्कूल द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

22. सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि/नई पेंशन योजना/अवकाश नियमावली/चिकित्सा नियमावली/आचरण और अपील नियमावली/सीसीएस (सीसीए) नियमावली और अन्य नियमावली –

कर्मचारियों की सेवा शर्तें और उनके नियम समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित नियमों/विनियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यादेशों में यथानिर्धारित होंगे।

23. विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ हेतु सेवा की निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता –

- (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक स्टाफ, किसी भी प्रतिकूल अनुबंध के अभाव में, सेवा की निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे, जैसा कि संविधियों और अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- (2) प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक स्टाफ के सदस्य को लिखित अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा।
- (3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक अनुबंध की एक प्रति रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाएगी।

24. विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारियों हेतु सेवा की निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता –

विश्वविद्यालय के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक स्टाफ के अलावा, सभी कर्मचारी किसी भी प्रतिकूल अनुबंध के अभाव में, सेवा की निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे, जैसा कि अधिसूचित किया गया है।

25. विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना –

- (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में शक्तियां कुलपति में निहित होंगी, जो अपनी सभी या किसी भी शक्ति को, जैसा वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।
- (2) कुलपति अनुशासन बनाए रखने के लिए, जैसा वह उचित समझे, ऐसी कार्रवाई करने के लिए तथा अनुशासन बनाए रखने से संबंधी अपनी शक्तियों की व्यापकता को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रयोग करते हुए, आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी छात्र या छात्रों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खारिज या निष्कासित किया जा सकता है और एक निश्चित अवधि के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेज में अध्ययन के पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जा सकता है, या आदेश में निर्दिष्ट राशि के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा या परीक्षाओं से एक या अधिक वर्षों के लिए वंचित किया जा सकता है या उस परीक्षा या परीक्षाओं से संबंधित छात्र या छात्रों के परिणाम को, जिसमें वह उपस्थित हुआ है या वे उपस्थित हुए हैं, को रद्द कर सकता है।

26. अन्य परिसर –

अन्य भवनों/अन्य परिसरों का विस्तार आवश्यकतानुसार अनुमेय होगा।

27. विश्वविद्यालय के संविधियों में भावी आशोधन और परिवर्धन –

- (1) प्रथम संविधियां वे होंगी जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से सरकार द्वारा बनाई गई हों।
- (2) प्रबंधन बोर्ड, समय-समय पर, नई या अतिरिक्त संविधियां बना सकता है या उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संविधियों में संशोधन या निरस्त कर सकता है;
- (3) बशर्ते कि प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण की स्थिति, शक्तियों या गठन को प्रभावित करने वाली किसी संविधि को तब तक नहीं बनाएगा, न ही संशोधित या निरस्त करेगा जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो और प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर व्यक्त की गई किसी भी राय पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा विचार किया गया हो।
- (4) संविधियों में प्रत्येक नई संविधि या परिवर्धन अथवा उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो उस पर सहमति दे सकता है या अपनी सहमति वापस ले सकता है अथवा उसके द्वारा किए गए प्रेक्षण में, यदि कोई हों तो उसे प्रबंधन बोर्ड को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है।
- (5) मौजूदा संविधि में संशोधन या निरस्त करने वाली एक नई संविधि या एक संविधि तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि उसे कुलाधिपति की सहमति नहीं मिल जाती है, जो मामले का फैसला करते समय संबंधित विभाग के विचारों को ध्यान में रखेगा।
- (6) यह भी उपबंधित है कि यदि कुलाधिपति उनके द्वारा प्राप्त संदर्भ के नब्बे दिनों के भीतर अपने निर्णय से अवगत नहीं कराते हैं, तो यह माना जाएगा कि कुलाधिपति ने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है।
- (7) पूर्वगामी उपधाराओं में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रारंभ के तुरंत बाद तीन साल की अवधि के दौरान उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संविधियों को संशोधित या निरस्त कर सकता है अथवा नई या अतिरिक्त संविधि बना सकता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,
एलिस वाज आर, सचिव (उच्च शिक्षा)

DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 4th May, 2023

No. F. DHE 46(4)/First Statutes of DTU/2022/2722.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (31) of the Delhi Teachers University Act, 2022 (DELHI ACT 02 OF 2022), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following First Statutes of the Delhi Teachers University, Delhi, namely:

1. Short title and Commencement:	
(1)	These Statutes may be called the Delhi Teachers University, Delhi (First) Statutes, 2023.
(2)	They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. Definitions:	
(1)	In these Statutes, unless the context otherwise requires:
(a)	“Academic Council” means the Academic Council of the University;
(b)	“Act” means the Delhi Teachers University Act, 2022 (Delhi Act 02 of 2022)
(c)	“Board” means the Board of Management of the University;
(d)	“Competency” means the ability to use acquired knowledge and learning and development of character for performing a job role successfully in a defined work setting;
(e)	“Competency-based Education” means an approach to teaching, learning and assessment that focuses on the student’s demonstration of learning outcomes and attaining proficiency in particular competencies in each subject;
(f)	“Centre” means the Centre established or maintained by the University;
(g)	“Certificate” means such award granted by Delhi Teachers University certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed;
(h)	“Chancellor”, “Vice Chancellor” and “Pro-Vice Chancellor” mean the Chancellor, the Vice Chancellor and the Pro-Vice Chancellor of the University;

- (i) **“Controller of Examinations”** means Controller of Examinations of the University;
- (j) **“Controller of Finance”** means Controller of Finance of the University;
- (k) **“Court”** means the Court of the University;
- (l) **“Credit”** means the standard methodology of calculating One hour of theory or one hour of tutorial or two hours of laboratory work, per week for a duration of a semester (13-15 weeks) resulting in the award of One Credit: which is awarded by the Delhi Teachers University on which the UGC regulations apply, and credits for internship shall be One Credit per One Week of Internship, subject to maximum of Six Credits;
- (m) **“Curriculum package”** means the competency-based curriculum package consisting of syllabus, textbooks, students’ manual, trainers’ guide, training manual, assessment and evaluation guidelines and all such material, including electronic materials such as digital initiatives and Massive Online Open Courses (MOOCs), required to impart teacher education and teaching to prepare a student to acquire the skills and competencies required of a person engaged, or likely to be engaged, in a teaching or any education-based role;
- (n) **“Dean,”** means the Dean of the University.
- (o) **“Degree”** means any such degree, as may be specified by the University Grants Commission, by notification in the Official Gazette, under section 22 of the University Grants Commission Act, 1956;
- (p) **“Delhi”** means the National Capital Territory of Delhi;
- (q) **“Department”** means an Academic Department within a Faculty;
- (r) **“Diploma”** means such award, not being a degree, granted by the University certifying that the recipient has successfully completed a course of study as prescribed;
- (s) **“Employee”** means any person appointed by the University;
- (t) **“Faculty”** means a faculty of studies of the University;
- (u) **“Hall”** means a unit of residence or of corporate life for the students of the University;
- (v) **“Institution”** means an academic institution established or maintained by the University;
- (w) **“Misconduct”** means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance as per the provisions of CCS (Conduct) Rules, 1964;
- (x) **“National Council for Teacher Education” or “NCTE”** refers to the National Council for Teacher Education established under the National Council for Teacher Education Act, 1993.
- (y) **“Notification”** means a notification published in the official Gazette;
- (z) **“Prescribed”** means prescribed by the Statutes or Ordinances or Regulations made under the Act;
- (aa) **“Regulatory Authorities”** means a body established by the State or Central Government for laying down norms and conditions for ensuring academic standards of teacher education such as University Grants Commission (UGC), National Council for Teacher Education (NCTE), etc.;
- (ab) **“Section”** means Section of the Delhi Teachers University Act 2022;
- (ac) **“Staff”** means all teaching and non-teaching staff of the University;
- (ad) **“Student”** means a candidate who shall be enrolled in any course of the university;
- (ae) **“University Grants Commission” or “UGC”** means University Grants Commission established under the University Grants Commission Act, 1956.
- (2) Words and expressions used in these statutes but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Officers of the University:

- (1) Visitor of the University
- (2) The Chancellor
- (3) The Vice-Chancellor
- (4) The Pro-Vice-Chancellor
- (5) The Deans
- (6) The Registrars
- (7) The Controller of Examinations
- (8) The Controller of Finance

4. Visitor of the University:

- (1) The President of the Republic of India shall be the Visitor of the University.
- (2) Any dispute arising between the University and any other University established by law in Delhi, may be referred to the Visitor whose decision shall be final and binding on the parties.

5. The Chancellor – In pursuance of Section 09 of the Act,

- (1) The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi shall be the Chancellor of the University.
- (2) The Chancellor shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees.
- (3) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he may direct, of the University, a college maintained by the University, its buildings, laboratories and equipment, and also of the examination, teaching and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University.
- (4) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made, and the University shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.
- (5) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3).
- (6) In case, an inspection or inquiry has been caused to be made, by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (7) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board of Management the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.
- (8) The Board of Management shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor such action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the result of such inspection or inquiry.
- (9) In case, the Board of Management does not, within a reasonable time; take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may issue such directions as he may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.
- (10) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with the Act, the Statutes or the Ordinances. Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.
- (11) If in the opinion of the Chancellor, the Vice-Chancellor willfully omits or refuses in carrying out the provisions of the Act or abuses the powers vested in him and if it appears to the Chancellor that the continuance of such officer in the office is detrimental to the interests of the University, the Chancellor may, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the said officer. The Chancellor shall have power to suspend such Officer during the pendency or in contemplation of any enquiry.

6. The Vice-Chancellor – In pursuance of Section 11 of the Act,

- (1) The Vice-Chancellor shall be scholar of eminence in teacher education, with teaching, research and administrative experience in a Post Graduate Degree level institution of higher learning. Persons of highest level of Competence, Integrity, and Institutional commitment shall be appointed as Vice Chancellor.
- (2) The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor, in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed not contrary to UGC provisions & guidelines. Subsequent Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names (written in the alphabetical order) selected by a Committee of members:
 - a) An eminent academician nominated by the Chancellor – Chairperson;
 - b) Secretary, Directorate of Higher Education, New Delhi – Member secretary;
 - c) One member shall be nominated by Chairperson, UGC – Member;
 - d) Two eminent educationists – Members, having excellence in the field of Teachers Education, School Education, Curriculum Development, shall be nominated by the Chancellor.
- (3) The process of preparing a panel shall be begin at least three months before the probable date of occurrence of the vacancy of the Vice Chancellor and shall be completed within the time limit fixed by the Chancellor. The Chancellor, however, may extend such time limit if in the exigency of the circumstances, it is necessary to do so. However, that the period so extended shall not exceed three months in aggregate.
- (4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date of joining his/her office and shall be eligible for reappointment only for one more term.
Provided that the person appointed as Vice-Chancellor shall cease to hold office on completion of seventy years of age or as prescribed by the UGC from time to time.
- (5) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows:

- (i) The Vice-Chancellor shall be paid a salary at par with Vice-Chancellor of a Central University, as notified by the Government from time to time;

Provided that if a person in receipt of any pension (from any State or Central Government) is appointed as Vice-Chancellor, his/her salary shall be fixed after taking into consideration such pension.

- (ii) In addition to the salary specified in sub clause (i), the Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances, as prescribed by the Government, from time to time;
- (iii) The Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Board with the approval of Chancellor, as per the rules/regulations/guidelines notified by the UGC/AICTE/NCTE/Government from time to time;

Provided that where an employee of the University or of any other University or any college maintained by or affiliated to such other university is appointed as the Vice-Chancellor, he/she/other may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he/she/other is a member and the University shall contribute into the account of such person in that provident fund at the same rate at which such person had been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor.

Provided further that where such officer had been a member of any pension scheme, the University shall make necessary contribution to such scheme.

- (iv) The Vice-Chancellor shall be entitled to the facility of free official car and this facility shall be subject to the guidelines issued by UGC/AICTE/ NCTE/Government relating to grant of Transport Allowance from time to time. No charge shall fall on the Vice Chancellor personally in respect of the maintenance of such car;
- (v) The Vice Chancellor shall be entitled to use of university/accommodation and its usage shall be governed by rules/regulations/guidelines issued by UGC/AICTE/NCTE/Government relating to grant of House Rent Allowance (HRA). No charge shall fall on the Vice Chancellor personally in respect of maintenance of such Residence.
- (6) The Vice-Chancellor shall Chair the meetings of the Court in absence of the Chancellor.
- (7) The Vice-Chancellor shall be the principal academic and executive officer of the University and shall exercise supervision and control over all and the affairs of the University and give effect to the decisions of all authorities of the University.
- (8) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any other authority or any other body of the University but shall not be entitled to vote unless he/she/other is a member of such authority or body.
- (9) The Vice-Chancellor shall be empowered to grant leave to any employee of the University as prescribed by the Government and make necessary arrangements for the discharge of the functions of such employee during he/she/other absence as per the norms formulated through Ordinance.
- (10) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that the Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed and the decisions of the authorities, bodies and committees which are not inconsistent with the Act, Statutes, Ordinances or Regulations are properly implemented.
- (11) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Court with the approval of Chancellor, and the meetings of the Board of Management, the Academic Council, the Building and Works Committee, and the Finance Committee, Examination Committee as and when required.
- (12) The Vice-Chancellor may make short-term appointments against the vacant post for a period not exceeding six months at a time, of such persons as he/she/other may consider necessary for the functioning of the University on such term, conditions and procedures as prescribed in the ordinance.
- (13) The Vice-Chancellor shall have the power to assign and remove any additional responsibilities to the teachers/officers/staff as per the clear rules prescribed by the Ordinances.
- (14) The Vice-Chancellor shall have the powers to delegate his powers for day-to-day work to the Pro Vice Chancellor(s), Deans, Coordinators of the Centers, Directors and other officers/professors who should act on the basis of clear rules laid down in this regard.
- (15) The Vice-chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he/she/other may delegate any such power to such officer or officers he/she/other within the purview of Rules/Regulations and Guidelines issued by the Government from time to time.
- (16) The Vice-chancellor may, if he/she/other is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under the Act and shall report to such authority the action taken by her/him/other on such matter:

(17)	(i) Provided that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final; (ii) Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor under this sub-section shall have the right to appeal against such action to the Board of Management within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Ordinances and Regulatory bodies.
7. (1) (2) (3) (4)	Pro Vice-Chancellors – In pursuance of Section 12 of the Act: - Every Pro Vice-Chancellor shall be appointed by the Board on the recommendation of the Vice-Chancellor: Provided that if the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Board, the matter shall be referred to the Chancellor who may either appoint the person recommended by the Vice-Chancellor or request the Vice-Chancellor to recommend another person for consideration of the Board. The term of the Pro Vice-Chancellor shall be co-terminus with the term of Vice-Chancellor: Provided that a Pro-Vice-Chancellor shall cease to hold office on attaining the age of superannuation, i.e., 65 years or as prescribed as UGC; (a) The salary of a Pro Vice-Chancellor shall be as decided by the Board of Management with the approval of the Chancellor. (b) In addition to the salary specified in sub clause (a), Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such leave, benefits and other allowances as prescribed from time to time as prescribed by the board and within the purview of Government rules; (c) Every Pro Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits as may be fixed by the Board of Management from time to time following the provisions of the rules/regulations/guidelines issued by the Government. (d) The Pro Vice-Chancellor shall be entitled to the official car and official residence subject to provisions of the rules/regulations issued by Government in relation to Transport Allowance and House Rent Allowance. No charge shall fall on the Pro Vice Chancellor personally in respect of maintenance of such car and residence; Every Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor in this behalf from time to time and shall also exercise such powers and perform such functions as may be delegated to him by the Vice-Chancellor.
8. (1) (2) (3) (4) (5)	The Deans – In pursuance of the Section 13 of the Act: - Every Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors or senior faculty of the University for a period of three years, Provided that a Dean on attaining the age of superannuation shall cease to hold office. Rotation of the Deans should be among the available Professors having at least three years of experience as Professor. When the office of the Dean is vacant or where the Dean is by reason of illness, absence or any other cause unable to perform the duties of his/her/other's office, the duties of his/her/other's office shall be performed by person who is next in seniority for appointment as Dean shall be appointed by the Vice-Chancellor for the purpose; The Dean shall be the head of the functional cluster assigned to him/her/other and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of work in the functions assigned to him/her. The duties and responsibilities of the Deans shall be as prescribed in the ordinance.
9. (1) (2) (3)	The Registrars – In pursuance of Section 14 of the Act: - The first Registrar shall be appointed by the Chancellor, in such manner, for such terms and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed. Subsequent Registrars shall be appointed by a Selection Committee constituted by the Board of Management. Every Registrar shall be appointed by the Board of Management on the recommendation of the Selection Committee, and he/she/other shall be a full-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor. The emoluments and other conditions of service of a Registrar shall be such as prescribed by the Ordinances and within the purview of rules/regulations/guidelines issued by UGC/AICTE/NCTE/Government from time to time

Provided that a Registrar shall retire on attaining the age of superannuation i.e., 62, or as prescribed by UGC.

- (4) A Registrar shall have the power to take disciplinary action against employees, excluding teachers, as may be specified by the Board of Management by general or special order made in this regard.
- (5) An appeal may be placed to the Vice-Chancellor against any order made by the Registrar in pursuance of clause (4) within thirty (30) days from the communication of such decision;
- (6) In cases where an inquiry discloses that a punishment beyond the powers of the Registrar is called for, the Registrar shall, consequent to the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his/her/other's recommendations for such action as the Vice-Chancellor may deem fit and appropriate.
Provided that in such a case, an appeal may be placed to the Board of Management against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty on an employee within thirty (30) days of communication of such decision.
- (7) The Registrar shall perform such other functions as may be specified in the Act, Statutes, Ordinances or Regulations, or as may be required from time to time by the Board of Management and the Vice-Chancellor.
- (8) A Registrar so designated shall be responsible—
 - (a) to ensure the safe custody of the University records and the common seal of the University and also to authenticate records on behalf of the University in respect of matters administrative, academic, legal, or any other matter on which the Board of Management or Vice Chancellor of the University may so direct;
 - (b) to act as the custodian of all the properties of the University unless otherwise provided for by the Board of Management. He/she/other shall be responsible for proper maintenance and upkeeping of properties and assets of the University;
 - (c) to conduct the official correspondence of the University and to be responsible for the proper maintenance of all the records of the University;
 - (d) to issue all notices and convene meetings of the authorities of the University and for the Committee appointed by such authorities;
 - (e) to keep the minutes of the meetings of the authorities of the University and the Committee(s) constituted by such authorities;
 - (f) to conduct the official proceedings and correspondence;
 - (g) to carry out the orders of various authorities of the University for which he shall be duly empowered;
 - (h) subject to the decisions of the authorities of the University, the Registrar shall have the power to enter into agreements, sign documents and authenticate the records on behalf of the university;
 - (i) to represent the University in suits or proceedings by or against the University, with the prior approval of the Vice-Chancellor/Board and to sign legal documents, and to verify pleadings thereof;
 - (j) to keep the Chancellor/Vice-Chancellor appraised of all significant legal proceedings in respect of the University from time to time and shall be bound to place before the Board all such information as may be necessary for transaction of its business.
- (9) The Registrar shall be the appointing and the disciplinary authority of the employees of the University other than the teachers and officers of the rank of Asst. Registrars and other Officers holding posts equivalent thereto (or) above.
- (10) The Registrar shall prepare and update the Handbook of Statutes, Ordinances and Regulations approved by the authorities, bodies (or) committees from time to time, and make them available to all the respective members of the authorities and officers of the University.
- (11) If the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of the Registrar to a teacher/officer of the University until the new Registrar assumes his office or until the existing Registrar attends to the duties of his office, as the case may be.

10. The Controller of Examinations –In pursuance of Section 15 of the Act: -

- (1) The Controller of Examination shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of the Selection Committee constituted by the Board. He/she/other shall be a full-time salaried officer of the University. However, the Vice-Chancellor shall have the authority to assign the duties of Controller of Examination to any Professor of the University until a regular appointment is made.
- (2) The Controller of Examinations shall be responsible for the orderly and timely conduct of examinations and Tests of the University and declaration of their results. He/she/other shall be responsible for custody of records pertaining to his work. This includes all records related to the conduct of examinations and declaration of results.
- (3) The Controller of Examination shall be the ex-officio Member- Secretary of the Examination Committee of the University and shall conduct the examinations and make all other arrangements thereof and be responsible for

due execution of all processes connected therewith, subject to the superintendence of the Examinations Committee.

- (4) The Controller of Examinations shall be responsible for preparing the examinations scheme both for theory and practical examinations and shall also be responsible to conduct the examinations as per scheme so prepared.
- (5) The Controller of Examinations shall notify the University examinations through an academic calendar of examination.
- (6) The Controller of Examinations shall be responsible for printing of Question Paper.
- (7) The Controller of Examinations shall fix the examination centre(s) and appoint centre superintendent(s) as decided by the Examination Committee and with the prior approval of the Vice-Chancellor.
- (8) The Controller of Examinations shall have powers to cause "examinations and related activities" inspected by flying squad/observer or any person appointed by him/her/other with the approval of Vice-Chancellor.
- (9) It is the duty of the Controller of Examinations to ensure free, fair and smooth conduct of examinations, and declare results within the timeframe as specified in the calendar of examination.
- (10) The Controller of Examinations shall notify the results of the University examinations and also put the results in the public domain through the University website within the timeframe as specified in the calendar of examination.
- (11) The Controller of Examinations shall ensure maintenance of the records related to the examinations in an efficacious manner and through systems which enable quick retrieval.
- (12) The Controller of Examinations shall maintain a database of students in a prescribed format which ensures seamless service delivery to the students.
- (13) The Controller of Examinations shall forward name(s) of candidates for conferment of degree(s), except honorary degrees to the Academic Council.
- (14) The Controller of Examinations shall appoint paper setters, tabulators, collators, moderators, observers, and flying squads etc. with the approval of the Vice Chancellor and shall be the controlling officer with regard to T.A./D.A./honorarium and remuneration bills of examiners, paper setters, moderators etc. and the persons invited for the purpose of the works related to examinations.
- (15) The Controller of Examinations shall issue under the direction of the Vice Chancellor, all notices convening meetings of board of examination Committee and committees appointed in connection with examinations and maintain the minutes of all such meetings.
- (16) The Controller of Examinations shall ensure that any malpractices related to examinations shall immediately be brought to the notice of the Examinations Committee and the Vice Chancellor and be suitably dealt with as per the guidelines prescribed by the regulatory bodies.
- (17) The Controller of Examinations shall have administrative control over the employees of the examination section and shall have, in this regard, all the powers of the Registrar as prescribed in the Act, Statutes and as notified.
- (18) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Examination shall be prescribed by the Ordinances.

Provided that the Controller of Examination shall retire on attaining the age of superannuation i.e., 62, or as prescribed by UGC.

- (19) The Controller of Examinations shall discharge any other responsibilities as assigned to him/her/other by the Vice-Chancellor from time to time.

11. The Controller of Finance – In pursuance to Section 16 of the Act: -

- (1) The Board of Management shall constitute a Selection Committee for the appointment of the Controller of Finance.
- (2) The Controller of Finance shall be appointed by the Board of Management on the recommendations of a Selection Committee (except first Controller of Finance, who shall be appointed by the Chancellor). He/she/other shall be a full-time salaried officer of the University and shall work under the control of the Vice-Chancellor.
- (3) The emoluments and other conditions of service of the Controller of Finance shall be prescribed by the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall retire on attaining the age of superannuation i.e., 62, or as prescribed by UGC.

- (4) When the office of the Controller of Finance is vacant or when the Controller of Finance is, by reason of ill health, absence or any other cause, unable to perform his/her/other's functions as the Controller of Finance, these shall be performed by a person appointed by the Vice-Chancellor for the purpose.
- (5) The Controller of Finance shall be the Member-Secretary of the Finance Committee. He/She shall have the right to

be present, speak and otherwise take part in the proceedings of the Board of Management on matters which have financial implications but shall not be entitled to vote.

(6) The Controller of Finance shall –

- (a) exercise general supervision over the funds of the University and advise it as regards its financial policies; and
- (b) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Board of Management or as may be prescribed by the Statutes or the Ordinances:

Provided that the Controller of Finance shall not incur any expenditure or make any investment exceeding one lakh rupees or such other amount as may be fixed by the Board of Management without the prior approval of the Vice-Chancellor.

(7) Subject to the control of the Vice-Chancellor and the Board of Management, the Controller of Finance shall-

- (a) prepare the Annual Accounts and the Budget of the University and present them to the Board of Management after its approval by the Finance Committee;
- (b) ensure compliance of finance rules and regulations as prescribed by the University;
- (c) ensure that the limits fixed by the Finance Committee for recurring and non-recurring expenditure for the year do not exceed the respective pre-specified values, and the money is spent for the purposes for which it has been granted or allotted;
- (d) keep a constant watch on the accounts, and the bank balance and investments;
- (e) watch the progress of collection of the revenue and advise on methods of collection;
- (f) be responsible for proper and timely investment of University funds with the approval of the Vice-Chancellor;
- (g) ensure that the funds of the University are invested in a manner which shall benefit the University;
- (h) ensure that the register of the buildings, land, furniture, Machinery and equipment are up-to-date, and the stock checking thereof is being conducted in the University annually;
- (i) probe any unauthorized expenditure or other financial irregularities and suggest appropriate disciplinary action to the competent authority against person(s) at fault and propose to the Registrar that explanation be called against any non-academic member for unauthorized expenditure (or) irregularities in any particular case, and recommend disciplinary action against the persons at fault;
- (j) call from any office of the University, any information or reports/returns that are considered necessary for the performing his/her/other's functions;
- (k) advise in any financial matter either suo-moto or on his/her/other's advice being sought for;
- (l) perform such other functions as may be assigned to him/her/other by the Vice Chancellor or may be laid down by the Ordinances and Regulations made there under;
- (m) be responsible for getting internal and external audits of the books of accounts of the University annually.

(8) The Controller of Finance shall maintain the special funds created in the University like Alumni Fund, Student Welfare Fund, Sponsor, and any other special fund set up by the Board of Management, in order to ensure that their accounts are maintained and that the said money is utilized for the purposes for which the funds were created.

(9) Any receipt given by the Controller of Finance or by the person or persons duly authorized in this regard by the Board of Management shall be a sufficient discharge for payment of money to the University.

12. The Board of Management—In addition to the provisions contained in Section 21 & 22 of the Act, the following is hereby prescribed: -

- (1) The Board of Management shall be the principal executive authority of the University and, as such, shall have all powers necessary to administer the University subject to the provisions of this Act and the Statutes made there under; and may make ordinances and regulations for that purpose and also with respect to matters provided hereunder.
- (2) The Board of Management shall have the following powers and functions, namely:
 - (a) to appoint the Registrar, Controller of Examination, Controller of Finance of the University on the recommendations of the Selection Committee constituted for that purpose;
 - (b) to present to the Court at its annual meeting;
 - (c) annual report of the University; and
 - (d) annual accounts;
 - (e) to manage and regulate the finances, accounts, investments, properties, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose, constitute committees and delegate the powers to such

- committees or such officers of the University as it may deem fit;
- (f) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stock, funds, shares or securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase of immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time except land acquired or buildings constructed with the assistance of the Government, in which cases the prior approval of the Government shall be required;
 - (g) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;
 - (h) to provided the buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
 - (i) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;
 - (j) to create institute and appoint persons to academic as well as other posts in the institute and determine salary structure and terms and conditions of different cadres of employees. Provided that the prior approval of Government shall be taken to create posts, determine their salary structure and terms and conditions of different cadres of employees as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/State Government from time to time;
 - (k) to appoint persons in teaching, administrative and ministerial posts;
 - (l) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;
 - (m) to select a common seal for the University;
 - (n) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act.
- (3) The Board of Management shall have the overall power of management and administration of the University subject to the provisions of the Act and Statutes made there-under:
- (a) to accord approval for creation of new departments, schools and centres and new educational research and development programmes, specialized studies, hostels and provide Housing for Staffs.
 - (b) to accord approval for starting new courses, and to increase/decrease in student intake in different courses, the infrastructural and laboratory requirements and the requirements of teachers/officers/staff for different academic programmes in the University;
 - (c) to create teaching and other academic posts; and to define the functions and conditions of service of the Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and the academic staff employed by the University after taking into consideration the recommendations of the Academic Council as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/State Government from time to time;
 - (d) to prescribe qualifications and other conditions of eligibility for teachers and other academic staff after taking into account the recommendations of the Academic Council as per rules/regulations/guidelines prescribed by the UGC/AICTE/Government, from time to time;
 - (e) to make appointments of such Professors, Associate Professors, Assistant Professors, other teachers and such academic staff as may be necessary, on the recommendations of the Selection Committees constituted for the purpose;
 - (f) to approve the panel of experts for selection of all teachers/officers/employees of the University;
 - (g) to provide guidelines for the appointment of Visiting Professors, Adjunct Faculty, Professor Emeritus, Chaired Professors and determine the terms and conditions of such appointment as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/Government from time to time;
 - (h) to create administrative, ministerial and other necessary posts; prescribe its qualifications, eligibility, other conditions of service and to specify the manner of appointment thereto as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/Government;
 - (i) to make appointments of all posts except Vice-Chancellor. Board will be disciplinary authority for all such posts.
 - (j) to entertain, adjudicate upon or redress the grievances of the employees and the students of the University who may, for any reason, feel aggrieved to that effect create a web portal to address the grievances on real time basis;
 - (k) to regulate and enforce discipline amongst the employees and students in accordance with the Statutes and the Ordinances;

- (l) to prescribe broad policy/guidelines for appointment of Examiners as prescribed by UGC/AICTE/NCTE;
- (m) to prescribe the remuneration/ honorarium/travel expenditure etc. payable to the examiners/ experts/ consultants/committee members/ invigilators etc. after considering the proposal of the Academic Council or other authority as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/Government;
- (n) to transfer or accept transfers of any immovable or movable property on behalf of the University;
- (o) to institute various medals, prizes, awards and certificates to recognize outstanding performance of the students in the University. The nature/value of the medals/ prizes etc., and their eligibility conditions and guidelines will be decided by the board based on the recommendations from the Academic Council;
- (p) to institute fellowships, scholarships, studentships etc. for Postgraduate and/or Undergraduate students;
- (q) to prescribe and approve the mode of utilization and investment of savings/ reserve funds/surplus in Corpus available at the University;
- (r) to delegate any of its powers to the Vice-Chancellor (or) such Other Officers (or) authorities of University (or) to a committee appointed by it, except the power to make, amend (or) repeal Ordinances;
- (s) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it by the Act or the Statutes.
- (t) to make, amend (or) repeal Ordinances and prepare draft Statutes as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by UGC/AICTE/NCTE/Government from time to time;
- (u) to receive and consider report of the working of the University form the Vice Chancellor periodically as prescribed in Ordinances;
- (v) to prescribe fee and other charges;
- (w) to prepare academic calendar of the University as per the Statutes/ Guidelines by UGC/AICTE/NCTE for next academic year before the expiry of the current academic year;
- (x) to consider the perspective plan for the academic development of the University prepared by the planning board of the University;

(4)

- (a) The Board of Management shall meet at least once in three months and not less than fifteen days' notice shall be given for such meetings.
- (b) The meetings of the Board of Management shall be called by the Registrar under instructions of the Vice Chancellor or at the request of not less than five members of the Board of Management.
- (c) One-third of the members of the Board of Management shall form the quorum at any meeting.
- (d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (e) Each member of the Board of Management shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Board of Management, the Chairman of the Board of Management or, as the case may be the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.
- (f) Every meeting of the Board of Management becomes necessary, the Vice Chancellor and in his absence by a member chosen by the members present.
- (g) If urgent action by the Board of Management becomes necessary, the Vice Chancellor may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board of Management. The action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board of Management. The action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board of Management. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

(5) The Board shall exercise all the powers of the University not otherwise provided for by the Act, the Ordinances and the Regulations for the fulfillment of the objects of the University.

(6) All academic matters of the University needing policy framing shall be approved by the Board as per the proposal of Academic Council. The Academic Council shall advise/ report on any matter referred or entrusted to it by the Board of Management.

13. Academic Council – In addition to the provisions contained in Section 23 of the Act.

- (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulation of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education, research and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
- (2) The Academic Council shall have the right to advise the Board of Management on all academic matters.

- (3) The Academic Council shall consist of the following persons, namely:
- (a) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson;
 - (b) three persons from amongst teacher educators or educationists of repute or who are not in the service of the University, and nominated by the Government;
 - (c) a nominee of the University Grants Commission or its successor;
 - (d) a nominee of the National Council for Teacher Education or the regulatory body as may be instituted by the Central Government
 - (e) all Heads of the Schools;
 - (f) Controller of examinations;
 - (g) three members of the teaching staff, one each respectively representing the professor, associate and assistant professors nominated by the Vice-Chancellor on rotation as per seniority;
 - (h) The Director, Higher Education, GNCTD (or) his nominee
 - (i) The Director, Training and Technical Education, GNCTD (or) his nominee
 - (j) such other members as may be prescribed by the Statutes;
 - (k) The term of the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall be three years.
- (4) Subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board of Management, the Academic Council shall manage the Academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:
- (a) to report on any matter referred or delegated to it by the Board of Management;
 - (b) to make recommendations to the Board of Management with regard to the creation, abolition or classification of teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto as per the extant Rules/Regulations/Guidelines of UGC/AICTE/NCTE/State Government
 - (c) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the Division and to assign to such Divisions their respective subjects and also to report to the Board of Management as to the expediency of the abolition or sub-division of any Division or the combination of one Division with another;
 - (d) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University through Ordinances;
 - (e) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;
 - (f) to consider proposals submitted by the faculties;
 - (g) to lay down policies for admissions to the University;
 - (h) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the Universities;
 - (i) to fix, subject to any conditions accepted by the Board, the time, mode and conditions of the competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;
 - (j) to make recommendations to the Board of Management with regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal and fixation of their fees, emoluments and travelling and other expenses;
 - (k) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;
 - (l) to declare or review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honours, diplomas, licenses, titles and marks of honour;
 - (m) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards, this recommendation may be implemented by the University only with the prior approval of the Government if the expenditure in this regard is to be met from Government Grant in Aid;
 - (n) to approve the syllabus for the prescribed courses of study and to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same;
 - (o) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the ordinances and regulations;
 - (p) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;
 - (q) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the ordinances and regulations made there under.
 - (r) to foster and maintain close connection with Industry, Commerce, the Professions, Universities, other educational establishments and Research Organizations:

(5)

- (a) The Academic Council shall meet as often as may be necessary, but not less than three times, during an academic year.
- (b) One-third of the existing members of the Academic Council shall form the quorum for a meeting of the Academic Council.
- (c) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (d) Each member of the Academic Council, including the Chairperson of the Academic Council, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Academic Council, the Chairperson of the Academic Council, or, as the case may be, the member presiding over that meeting, shall in addition, have a casting vote.
- (e) Every meeting of the Academic Council shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.
- (f) If urgent action by the Academic Council becomes necessary, the Chairperson of the Academic Council may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Academic Council. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Academic Council. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Academic Council. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

14. The Finance Committee –
The constitution, powers, functions and meetings of the Finance Committee shall be in accordance with the section 25 of the Act.

15.. Schools and Divisions – In pursuance of Section 26 of the Act: -

- (1) There shall be such a number of Schools of Studies and Research and Divisions as the University may determine from time to time.
- (2) The constitution, powers and functions of a School and Divisions shall be such as may be prescribed by the statutes.
- (3) Every School will consist of such Divisions as may be assigned to it by the Ordinances;
- (4) Each School will have a Dean who will be the senior most faculty from the constituent Divisions by rotation;
- (5) Each Division shall consist of the following members, namely:- (I) faculty members of the Division; (II) persons conducting research in the Division; (iii) Division Head; (iv) Honorary Professors, if any, attached to the Division; and (v) such other persons as may be members of the Division in accordance with the provisions of the Ordinances.

16. Planning Board – In pursuance of Section 27 of the Act: -

- (1) There shall be constituted a Planning Board of the University to be the principal planning body of the University and shall also be responsible for monitoring the development of the University.
- (2) The constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed by Board of Management.

17. The Selection Committees –

- (1) There shall be constituted Selection Committees for making recommendations to the Board of Management for appointment to the posts of;
 - (a) Registrar
 - (b) Controller of Examination
 - (c) Controller of Finance
 - (d) Professor
 - (e) Associate Professors
 - (f) Assistant Professors
 - (g) Other teachers and academic staffs
 - (h) Non-teaching staffs
- (2) Each of the Selection Committees for appointment to these posts of Professors, Associate Professors and Assistant Professors shall consist of the following members, namely:
 - (a) **Professor:**
 - (i) Vice Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee.
 - (ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor/Chancellor, wherever applicable.
 - (iii) Three experts in the subject/field concerned to be nominated by the Vice Chancellor out of the panel of

names approved by the relevant statutory body of the university concerned.

- (iv) Dean of the Faculty, wherever applicable
- (v) Head/Chairperson of the Department/ School.
- (vi) An academician belonging to the SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of the candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

(b) Associate Professor:

- (i) The Vice Chancellor or his/her nominee, who has at least ten years of experience as professor, shall be the Chairperson of the Committee.
- (ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor/Chancellor, wherever applicable.
- (iii) Three experts in the subject/field concerned nominated by the Vice Chancellor, out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university.
- (iv) Dean of the Faculty, wherever applicable.
- (v) Head/Chairperson of the Department/ School.
- (vi) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of the candidates belonging to any of these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

(c) Assistant Professor:

- (i) The Vice Chancellor or his/her nominee, who has at least ten years of experience as professor, shall be the Chairperson of the Committee.
- (ii) An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor/Chancellor, wherever applicable.
- (iii) Three experts in the subject concerned nominated by the Vice Chancellor, out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university Concerned.
- (iv) Dean of the Faculty, wherever applicable.
- (v) Head/Chairperson of the Department/ School concerned.
- (vi) An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled categories, if any of the candidates to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates from any of these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.

Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

- (3) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of Registrar, Controller of Examination, Controller of Finance shall consist of the following members namely:

- (i) The Vice-Chancellor as Chairman of the Committee;
- (ii) The Principal Secretary/Secretary, Directorate of Higher Education of the Government of NCT Delhi or his nominee.
- (iii) A member of Board of Management to be nominated by Board amongst its members;
- (iv) Three eminent professionals having expertise in Administration and Financial matters to be nominated by the Vice-Chancellor, out of a panel approved by the Board;
- (v) An officer/academician (of the rank of Group-A) representing Schedule Cast/Schedule Tribe/Other Backward Classes / minority/women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.
- (vi) Registrar shall act as Member Secretary except where he himself is a candidate for the post and for the post of Registrar;

Five members of the selection committee (who shall include at least one person from category (vi) above) shall form a quorum for a meeting of the selection committee constituted under clause (3).

- (4) Each of the Selection Committees for appointment to the posts of various categories of staff, other than the academic staff, shall consist of the following members namely:

- (i) The Vice-Chancellor or his nominee not below the rank of Pro Vice-Chancellor of the University as Chairman of the Committee;
- (ii) The Registrar as Member- Secretary;
- (iii) The Principal Secretary/Secretary, Higher Education, of the Government of Delhi or his nominee.
- (iv) An officer/academician of the rank of Group-A representing Schedule Cast/Schedule Tribe/Other

	Backward Classes / minority/ women/Differently-abled categories to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category; Provided that whenever necessary, two experts may be nominated by the Vice Chancellor in the above Selection Committee. The quorum for a meeting of a selection committee constituted under clause (4) shall be three.
(5)	All the above selection committees shall be the same for direct recruitment as well as promotion including career advance scheme for respective category of employees.
(6)	The Selection Committees for other posts which are not covered under (2) to (4) above shall be constituted by the Board of Management through Ordinances.
(7)	The procedures to be followed by the selection committees constituted under this statute shall, in making recommendations, be such as laid down in the Ordinances.
18.	Other Authorities – The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed.
19.	Examination Committee – In pursuance of Section 28 of the Act. The Constitution of Examination Committee, term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Ordinances.
20.	Other Committees – (1) Any authority of the University may appoint as many standing or special committees as it may deem fit and may appoint, on such committees, such persons who are not members of such authority. (2) Any committee appointed under section 18 (1), may deal with any subject delegated to it and before taking action, if any, shall seek confirmation of it from the authority appointing it.
21.	Board of Studies – (1) Every School shall have a Board of Studies and the members of the first School Board shall be nominated for a period of three years by the Academic Council. (2) The conduct of the meetings of a Board of Studies and the quorum required for such meetings shall be prescribed by the Ordinances (3) Subject to the overall supervision of the Academic Council, the Functions of a Board of Studies shall be to approve subjects for various degrees and other requirements of research degrees and to recommend to the concerned Boards of Studies in the manner prescribed by the Ordinances- (a) programmes and courses of studies and (b) measures for the improvement of the standard of teaching and research Provided that the above functions of a Board of Studies shall, during the period of three years immediately after the commencement this Act, be performed by the School.
22.	General Provident Fund/ Contributory Provident Fund/ New Pension Scheme/Leave Rules/Medical Rules/Conduct and Appeal Rules/CCS (CCA) Rules and other rules – The service conditions of employees and its rules shall be as prescribed in Ordinance as per the Rules/Regulations/Guidelines prescribed by Government from time to time.
23.	Terms and Conditions of service and code of ethics for the teachers and other academic staff of the University – (1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of ethics as are specified by the Statutes and the Ordinances. (2) Every teacher and member of the academic staff shall be appointed on a written contract. (3) A copy of every contract referred to in clause (2) shall be deposited with the Registrar.
24.	Terms and Conditions of service and code of ethics for other employees of the University – (1) All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and the code of conduct as may be notified.
25.	Maintenance of discipline amongst the students of the University – (1) The powers regarding discipline and disciplinary action in regard to the students of the University shall vest in the Vice-Chancellor who may delegate all or any of his powers, as he may deem fit.

(2)	Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action as he may deem appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated for a specified period and not admitted to a course or courses of study in the University or college maintained by the University for a stated period, or be punished with a fine for an amount to be specified in the order, or debarred from an examination or examinations conducted by the University for one or more years or that the result of the student or students concerned in the examination or examinations, in which he has or they have appeared, to be cancelled.
26.	Other campuses – Expansion of other buildings/other campus would be admissible in as and when necessary.
27.	Future modifications and additions to Statutes of the University – (1) The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within thirty days of the commencement of this Act. (2) The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the statutes referred to in sub-section (1): (3) Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any opinion so expressed within the time specified by the Board of Management has been considered by the Board of Management. (4) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his/her assent or remit it to the Board of Management for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him/her. (5) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor, who will take into consideration the views of the concerned department while deciding the matter: (6) Provided that if the Chancellor does not convey his decision within ninety days of the reference received by him/her, it shall be deemed that the Chancellor has given his assent to the proposal. (7) Notwithstanding anything contained in the foregoing subsections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1), during the period of three years immediately after the commencement of this Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

ALICE VAZ R, Secy. (Higher Education)